Lack of facilities at coaching camps

1595. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some of the venues selected for Coaching Camps are totally void of basic facilities and comports;

(b) whether the National and International level sportsmen complained to this effect; and

(c) whether Government will create a format to be filled in by the selected sportsmen who are undergoing the coaching to narrate their experience, gains and difficulties, they experience during the programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) (SHRI MUKUL WASNIK): (a) No Sir.

(b) No Sir.

(c) At present a format has been drawn up for collecting information on various aspects of Coaching Camps from the Coaches. The present system to a large extent brings out the difficulties being faced by the players.

दिल्ली में स्मारकों का संरक्षण

1596. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी इमारतों तथा स्मारकों को सुरक्षित घोषित किया गया है;

(ख) इन में से कितनी इमारतों और स्मारकों पर अवैध अतिक्रमण हुआ है; और

(ग) दिल्ली की सांस्कृतिक संपदा की सुरक्षा तथा उनके रख-रखाव के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) दिल्ली में, 166 स्मारकों को केन्द्रीय संरक्षित घोषित किया गया है ।

(ख) इन में से 24 स्मारकों पर आंशिक रूप से अवैध अतिक्रमण हुआ है ।

(ग) नियमित देखरेख, संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण और पर्यावरण संबंधी सुधार के अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली के कुछेक स्मारकों को विशेष मरम्मत, रासायनिक परिरक्षण, पर्यावरण संबंधी सुधार के लिये चुना है । स्मारकों से प्रशासनिक एवं कानूनी उपायों द्वारा अवैध कब्ज हटा दिये गए है या हटाए जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय महिला कोष

1597. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्थापित किया गया राष्ट्रीय महिला कोष लागू कर दिया गया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कोष में कितनी धनराशि संग्रहीत की गई है ;

(ग) इस कोष में से ऋण देने की नीति के लिये क्या दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ;

(घ) इस कोष का संचालन करने वाले प्राधिकरण का नाम क्या है तथा उसके सदस्यों की संख्या तथा उनके नाम क्या-क्या हैं और उन्हें क्या शक्तियां दी गई हैं;

(ङ) निर्धन महिलाओं की सहायता तथा मदद करने के लिये राज्यों में महिला सामाजिक संगठनों की क्या भूमिका है ;

(च) क्या सरकार ने महिलाओं पर बढ़ते हुये अत्याचारों को रोकने के लिये कोई राष्ट्रव्यापी योजना बनाई है ;

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ज) यदि नहीं, तो क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1992-93 में राष्ट्रीय महिला कोष हेतु 31 करोड़ रुपये की कोरपस निधि संस्वीकृत की गई ।

(ग) ऋण संस्वीकृत करने के लिये मुख्य दिशा-निर्देश विवरण-I में दिये गये हैं । (**नीचे देखिये**)

(घ) कोष का संचालन महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित 15 सदस्यीय एक शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसका ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है । (**नीचे** देखिय) कार्यकारी निदेशक इस कोष के कार्यकारी अध्यक्ष हैं । राष्ट्रीय महिला कोष के नियमों और विनियमों के अनुसार, कोष के समग्र पर्यवेक्षण और प्रबंधन की शक्तियां, कोष के शासी बोर्ड में निहित हैं ।

(ङ) विवरण-II (**नीचे** देखिये) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र गैर-सरकारी संगठनों को ऋण स्वीकृत किये जाते हैं, जो आगे निर्धन महिलाओं को उधार देते हैं ।

(च) से (ज) भारत सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की घटनाओं के बारे में चिंतित है । इस सामाजिक बुराई का सामना करने के उद्देश्य से सरकार ने विधि, जिसमें कानूनों की लगातार समीक्षा करना शामिल है, शिक्षा, जागृति विकास, कानूनी साक्षरता, परामर्श, कानूनी सहायता, प्रवर्तन, स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, प्रचार अभियान इत्यादि जैसे क्षेत्रों में अनेक कदम उठाये हैं । महिलाओं पर हिंसा से संबंधित विभिन्न कानूनों के प्रवर्तन का दायित्व राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों का है । अतः, भारत सरकार ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को इन कानूनों को कड़ाई से और प्रभावी तरीके से लागू करने के बारे में बार-बार लिखा है । इसके अलावा, प्रवर्तन तंत्र को महिलाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में संचेतना प्रदान करने तथा प्रभावित महिलाओं के लिये अल्पावास गृह और परिवार परामर्श केन्द्र जैसी सहायक सेवायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है । भारत सरकार ने हाल ही में राज्य के पुलिस महानिदेशकों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें ऐसे अत्याचारों का मुकाबला करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया । अनेक राज्यों ने इस प्रयोजन के लिये "क्राइम एगेंस्ट वीमेन" सेलों की स्थापना की है ।

विवरण-I

(i) ऋण नीति :

राष्ट्रीय महिला कोष गैर-सरकारी संगठनों, स्व-सहायता समूहों, महिला ऋण सहकारिताओं, महिला विकास निगमों के माध्य से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की निर्धन महिलाओं को ऋण वितरित करता है ।

पात्रता मानदण्ड :

ऐसे गैर-सरकारी संगठन/महिला ऋण सहकारिताएं/महिला विकास निगम इत्यादि जिनका संचालन सुव्यवस्थित रूप से किया जा रहा है और जिन्हें बचत और ऋण प्रशासन में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव है, पात्र गरीब महिलाओं को राशि उधार देने के लिए कोष से अल्पावधि और मध्यमावधि ऋण लेने का पात्र है ।

वास्तविक लाभप्राप्तकर्त्ता :

ऐसी ऋण प्राप्तकर्ता महिलाएं, जिनकी पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 11000 रु० प्रति वर्ष से अधिक नहीं है और शहरी क्षेत्रों में 11,800 रु० से अधिक नहीं है, इस स्कीम के अन्तर्गत सहायता की पात्र हैं ।

(ii) व्यय का तरीका : राष्ट्रीय महिला कोष से लिए गए ऋण का उपयोग ऋणप्राप्तकर्ताओं द्वारा आयोत्पादक कार्यकलापों के लिए किया जाता है । ऋण का कुछ भाग खपत के प्रयोजनों के लिए भी संस्वीकृत किया जा सकता है ।

(iii) ऋण की अवधि : मध्यम अवधि ऋण 3–5 वर्षों की अवधि में वापस किया जाना होता है । अल्पावधि ऋण 12–15 महीनों में वापस करना होता है ।

(iv) ऋण की राशि : अल्पावधि ऋण की अधिकतम राशि 2500 रु० तथा मध्यमावधि ऋण की राशि 5000 रु० से अधिक नहीं होगी ।

(v) ब्याज दर : राष्ट्रीय महिला कोष से अल्पावधि और मध्यमावधि दोनों प्रकार के ऋणों के लिए मध्यस्थ संगठनों के लिए ब्याज दर 8% प्रति वर्ष है । वास्तविक ऋणप्राप्तकर्ताओं से 12% से अधिक ब्याज नहीं लिया जाएगा ।

विवरण–II

राष्ट्रीय महिला कोष के शासी निकाय का गठन

1.	राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार	अध्यक्ष (पदेन)
2.	सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार	सदस्य (पदेन)
3.	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार	—तदैव—
4.	सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	—तदैव—
5.	सचिव, योजना आयोग, भारत सरकार	—तदैव—

6. अपर सचिव, ... सदस्य
बैंकिंग प्रभाग, (पदेन)
वित्तीय कार्य विभाग,
भारत सरकार

7. प्रभारी सचिव, ... —तदैव—
महिला एवं बाल विकास विभाग
असम सरकार

8. सचिव, ... —तदैव—
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्य प्रदेश सरकार

9. सुश्री इला भट्ट . . . . . —तदैव—
महासचिव, एस ई डब्ल्यू ए,
सेवा स्वागत केन्द्र, लोकमान्य तिलक बाग के सामने
भद्रा, अहमदाबाद-380001

10. सुश्री जया अरुणाचलम, ... —तदैव—
अध्यक्ष, बैंकिंग वीमेन्ज फोरम
55, भीमसेन गार्डन रोड,
मायलापुर, मद्रास—600004

11. सुश्री प्रेमा पुराव, ... —तदैव—
महासचिव, अन्नपूर्णा महिला मण्डली,
नयनित अपार्टमेन्टस,
123, राम मारूति रोड,
दादर, बम्बई-400028

12. श्रीमती रानी सतीश, ... —तदैव—
सामाजिक कार्यकर्ता तथा एम एल सी
विश्वनाथ राव रोड, माधव नगर,
बंगलौर-1

13. सुश्री सरला साहनी, ... —तदैव—
अवैतनिक सचिव, उ0प्र0 शिल्प परिषद्,
6 फानबेक एवन्यू,
लखनऊ-226001

14. सुश्री अरुणा राय, ... —तदैव—
ग्राम देडूगरी, डाकखाना बरार,
बाया भीम, जिला राजसमंद,
राजस्थान-313341

15. सुश्री मंजु राय, ... —तदैव—
आजाद चौक, सिहोरा रोड,
जिला जबलपुर 483225